

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम ①

मुं नं 06/15 फर्द अहकाम तारीख रजु 01-4-15

उतवान - प्रकाश बनाप्ररामकेश को०  
प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्राची की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा Adv. ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अपलोमन किया गया। वकील प्राची की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रथम दृष्टया मामला प्राची के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अप्राची को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से प्राबन्ध किया जाता है कि ग्राम मोरडा की अधिष्ठ नं 157 रकबा 0.51, 158 रकबा 0.36 है 1832/159 रकबा 0.30 है कुलकित 3 कुल रकबा 1.25 है० में आगामी पेशी तक ज्वशेद श्रद्धा हिस्सा 1/2 को रहन व्यय नहीं करे। प्रार्थना पत्र दर्जरजिस्टर कर अप्राची को जरिये नोटिस तलव कर दिनांक 6.5.15 को पेश हो।

491-92  
1-4-15

उप जिला कलेक्टर  
टोडाभीम (स०)

प्राची वकील उप। अप्राची नं. 182 बावजूद सूचना उप० नहीं दी उनके विरुद्ध एक पक्षीपक्षाधिकारी के अगोप्य दिये जाते हैं। अत्र वास्ते बहसदि 25.5.15 को पेश हो।

दिनांक	फर्द अहकाम
	<p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर... 4.6.15 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>
	<p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर... 8.6.15 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>
<p>8/6</p>	<p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर... 8.6.15 को पेश हुई। आइन्दा दिनांक 12.7.15 को पेश हो।</p> <p>उक्त रकम:</p> <p><i>[Signature]</i></p>
<p>8.6.15</p> <p><i>[Fingerprint]</i></p> <p>शिविर</p>	<p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर गोरहा में पेश हुई। पक्षकारों ने अपना दावा राजीनामा पेश कर खासिकर लिखा है। दावा खासिक हो जोन से शर्तना फत्र अख्यार्ड निषेधाशा में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। शर्तना फत्र अख्यार्ड निषेधाशा खासिक किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फेसल सुनाने होकर दावा पत्रावली के साथ ही लगन रहे।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>उप जिला कलक्टर देबाभीम (करौली)</p>